

दिनांक:

1. कौसरबाग एवम् निकाट विम खाना वनब, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अधीनस्थ न्यायाधिकरण,
अयोध्या,
कॉस्टीम गौड़, एच04000990

संज्ञा में:

श्री अरनीषा कुमार जायसवाल,
हिंडी रजिस्ट्रार (एम) इड्डिकोट ऑफ वुड्रीकेयर, इलाहाबाद।
इलाहाबाद।

पत्रांक संख्या 274/एसटीएटी/2020

लखनऊ, दिनांक 12.10.2020

संदर्भ- "पत्रांक संख्या 2310/IV-3961/Admin(A-4)/Dated 13.02.2020 के निर्देशों के अनुपालनाथ
अर्जित वन सभ्यति जो न्यायिक अधिकारी द्वारा नियुक्ति की तिथि तक हासिल, वर्ष 2011-12 से वर्ष
2012-13, तदीपरान्त वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15, तदीपरान्त वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17
तथा अर्जित वन सभ्यति न्यायिक अधिकारी द्वारा नियुक्ति की तिथि तक हासिल, वर्ष 2011-12 से
वर्ष 2012-13, तदीपरान्त वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15, तदीपरान्त वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17
तदीपरान्त वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 का निर्धारित मातृक के अनुसार स्टैटमेंट

तथा अर्जित वन सभ्यति न्यायिक अधिकारी द्वारा नियुक्ति की तिथि तक हासिल, वर्ष 2011-12 से
वर्ष 2012-13, तदीपरान्त वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15, तदीपरान्त वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17
तदीपरान्त वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 का निर्धारित मातृक के अनुसार स्टैटमेंट बीनों का सत्यापित
विवरण भौगोलिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अवलोकनाथ हेतु ससमान प्रकृत किया जा
रहा है, जो कुल वन पूछों में वतौर संलग्नक ससमान प्रेषित है।

उपर्युक्त विषयक संदर्भ पत्रांक संख्या 2310/IV-3961/Admin(A-4)/Dated 13.02.
2020 के संदर्भ में भौगोलिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालनाथ न्यायिक
अधिकारी द्वारा अर्जित वन सभ्यति जो न्यायिक अधिकारी द्वारा नियुक्ति की तिथि तक हासिल, वर्ष
2011-12 से वर्ष 2012-13, तथा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15, तदीपरान्त वर्ष 2015-16 से वर्ष
2016-17 तदीपरान्त वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 का निर्धारित मातृक के अनुसार स्टैटमेंट तथा
अर्जित वन सभ्यति न्यायिक अधिकारी द्वारा नियुक्ति की तिथि तक हासिल, वर्ष 2011-12 से वर्ष
2012-13, तदीपरान्त वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15, तदीपरान्त वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17
तदीपरान्त वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 का निर्धारित मातृक के अनुसार स्टैटमेंट बीनों का सत्यापित
विवरण भौगोलिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अवलोकनाथ हेतु ससमान प्रकृत किया जा
रहा है, जो कुल वन पूछों में वतौर संलग्नक ससमान प्रेषित है।

अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी द्वारा यथासंभव प्रयास ससमान सहित दिशा-निर्देशों का
अनुपालन करके स्टैटमेंट का सत्यापित विवरण अवलोकनाथ मातृक के अनुसार प्रेषित है।
विगत में कारित उचित एवं विनाश हेतु अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रार्थी है।

ससमान सहित।

कॉस्टीम गौड़, एच04000990

अयोध्या,

उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अधीनस्थ न्यायाधिकरण,

अधीनस्थ
Chairman

State Transport Appellate Tribunal,
U.P. Lucknow

संलग्नक:



मार्गदर्शक

12.10.2020

1. पत्र पूछों में ससमत अर्जित वन सभ्यति जो न्यायिक अधिकारी द्वारा
नियुक्ति की तिथि तक हासिल तदीपरान्त वर्ष 2011-12 से वर्ष 2012-13,
तदीपरान्त वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15, तदीपरान्त वर्ष 2015-16 से वर्ष
2016-17 तदीपरान्त वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 तक सत्यापित विवरण।

2. पत्र पूछों में ससमत अर्जित वन सभ्यति जो न्यायिक अधिकारी द्वारा
नियुक्ति की तिथि तक हासिल तदीपरान्त वर्ष 2011-12 से वर्ष 2012-13,
तदीपरान्त वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15, तदीपरान्त वर्ष 2015-16 से वर्ष
2016-17 तदीपरान्त वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 तक सत्यापित विवरण।